

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा
मुकदमा नम्बर 42 / 2018

निर्णय दिनांक 16.5.2018

स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा

बनाम

जोठाराम पुत्र सुस्ताराम जाट निवासी हियादेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
वादी
उपस्थिति-
प्रतिवादी

1. पैरोकार राज प्रार्थी की तरफ से
2. अप्रार्थी के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175, 177 आरटीए

यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा ने पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट पटवारी हल्का हियादेसर के अनुसार ग्राम हियादेसर में स्थित खसरा नम्बर 845/569 तादादी 1.60 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी कृषि भूमि है। जिसमें से प्रतिवादी ने तादादी 0.38 हैक्टयर भूमि बिना सक्षम स्वीकृति लिए व बिना कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा निर्माण किया गया है जो अवैध है। प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध रूप से ईन्ट भट्टा बनाये जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है इस प्रकार प्रतिवादी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी द्वारा खसरा नम्बर 845/569 रकबा 1.60 हैक्टयर में से 0.38 हैक्टयर भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के बिना कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये अवैध ईन्ट भट्टे के निर्माण को हटाने व निरुपस्थानुसार रूपान्तरण करवाने हेतु निर्देशित करने के उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा निर्माण नहीं हटाया है व ना ही भूमि रूपान्तरण करवाई है। प्रतिवादी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति लिए व बिना कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाये ईन्ट भट्टा का निर्माण करना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विपरीत होने के कारण शून्य है। जिसके द्वारा प्रतिवादी को कोई हक हासिल नहीं होते हुए भी कृषि भूमि का नेचर परिवर्तन किया है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175, 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिकार रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हियादेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर के स्थित खेत खसरा नम्बर 845/569 तादादी 1.60 हैक्टयर में से रकबा 0.38 हैक्टयर अर्थात् 3800 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर काश्तकारी रिज्यूम करते हुये कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

वादी के उक्त वाद पत्र पर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी का नोटिस जरिये चस्पानगी से तामिल होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस इकतरफा सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोखा

पैरोकार राज ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर बिना किसी सक्षम अनुमति के ईट भट्टा स्थापित कर लिया है। अतः उक्त रकबा राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए खातेदार की टीनेन्सी समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अययन किया गया। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा खातेदारी भूमि में बिना रूपान्तरण करवाये ईट भट्टा लगाया जाना प्रमाणित होता है। अतः वार्दी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 845/569 तादादी 1.60 हैक्टर में से 0.38 हैक्टर अर्थात् 3800 वर्गमीटर वाके रोही हिंयादेसर तहसील नोखा जिसमें प्रतिवादीगण जेठाराम पुत्र सुरताराम जाट निवासी हिंयादेसर द्वारा ईन्ट भट्टे का निर्माण कर रखा है। उस भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त कर उक्त भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार, नोखा प्रतिवादी को उक्त भूमि से बेदखल करके पैरोकार राज लेकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अंकन करें। डिक्री जारी हों। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हों। निर्णय आज दिनांक 16.5.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।



(कन्हैयालाल सोनगरा)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा